डी0के0 सिंह, निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर द्वारा दिनांक 11.06.2019 को जनपद चमोली के अन्तर्गत प्रस्तावित भराड़ीसैण से परवाड़ी लिंक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 6.5525 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर निरीक्षण आख्या :–

उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 11.06.2019 को किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री हरीश नेगी, वन क्षेत्राधिकारी, लोहवा रेंज एवं वन विभाग के अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। मौके पर सर्वप्रथम मार्ग का मानचित्र एवं उससे लाभान्वित होने वाली बसावट, स्कूल, हॉस्पिटल आदि का अध्ययन किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि भराड़ीसैण से परवाड़ी लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित संरेखण के अतिरिक्त अन्य विकल्प भी हैं जिनमें अपेक्षाकृत कम वृक्ष एवं वन भूमि प्रभावित होगी। इसी क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 3505/12–1, दिनांक 11.06.2019 से अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 कर्णप्रयाग को मोटर मार्ग के अन्य विकल्पों की सम्भावनाओं पर विचार करने हेतु अवगत किया गया। अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 कर्णप्रयाग के पत्रांक 393/चार0प्रावि0, दिनांक 01.08.2019 एवं उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग का पत्रांक 466/12–1, दिनांक 01.08.2019 के द्वारा इस कार्यालय को अपूर्ण आख्या प्रेषित की गयी तथा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु मेरे द्वारा सुझावे गये तीन वैकल्पिक संरेखणों पर विचार करते हुए तत्थात्मक आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 473/12–1, दिनांक 08.08.2019 द्वारा पी0एम0जी0एस0वाई0 कर्णप्रयाग को वैकल्पिक संरेखणों पर विचार करने हेतु अवगत किया गया। अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 कर्णप्रयाग के पत्रांक 433/चार प्रावि0 दिनांक 09.08.2019 (संलग्न) द्वारा तीनों वैकल्पिक संरेखणों पर तत्थात्मक आख्या उपलब्ध करायी गयी, उनके कथनानुसार तीनों वैकल्पिक संरेखणों में स्थानीय ग्रामवासियों की निजी नाप भूमि प्रभावित हो रही है तथा ग्रामवासियों द्वारा अपनी निजी नाप भूमि देने से असहमति व्यक्त की गयी है तथा प्रस्तावित संरेखण के अनुसार ही मोटर मार्ग के निर्माण की मांग की गयी। यदि ग्रामीणों की सहमति प्राप्त हो जाती तो इस मोटर मार्ग के निर्माण से कम वन भूमि प्रभावित होती तथा बांज के वृक्षों की क्षति भी कम होती। मोटर मार्ग के निर्माण पर व्यय भी कम होता जिससे कम लागत में मार्ग का निर्माण हो जाता परन्तु ग्रामवासियों की असहमति के कारण ऐसा नहीं हो सका। अतः प्रस्ताव को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

वैकल्पिक संरेखण का निरीक्षणः–

1. सुझाये गये तीनों वैकल्पिक संरेखणों में ग्रामवासियों की निजी नाप भूमि प्रभावित हो रही है। ग्रामवासियों द्वारा अपनी-निजी नाप भूमि देने से असहमति व्यक्त की गयी है।
2. इन संरेखणों में कम संख्या में बांज वृक्षों का पातन हो रहा है परन्तु ग्रामवासियों द्वारा अपनी नाप भूमि देने से आपत्ति की गयी है।
3. इन संरेखणों में कम वन भूमि प्रभावित हो रही है परन्तु नाप भूमि प्रभावित होने के कारण ग्रामवासियों द्वारा आपत्ति की गयी है।
4. इन संरेखणों में लाभान्वित होने वाली बसावट कम है।

प्रस्तावित संरेखण का निरीक्षणः–

1. इस संरेखण में बांज के वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं परन्तु ग्रामवासियों द्वारा वैकल्पिक संरेखण हेतु अपनी नाप भूमि देने से आपत्ति की गयी है जिस कारण प्रस्तावित संरेखण के अतिरिक्त अन्य संरेखण उपलब्ध नहीं है।
2. यह संरेखण भू–वैज्ञानिक दृष्टि से भी उचित है।
3. इस संरेखण से लाभान्वित होने वाली बसावट वैकल्पिक संरेखण की तुलना में अधिक है।

P.T.O.

निरीक्षण के दौरान भराड़ीसैण से परवाड़ी लिंक मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित संरेखण में बांज प्रजाति के 0–10 व्यास वर्ग सहित 891 वृक्ष तथा अन्य प्रजातियों के 884 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

अतः प्रस्तावित संरेखण को अन्य वैकल्पिक मार्गो पर ग्रामवासियों एवं कार्यदायी संस्था के मध्य सहमति न हो सकने के कारण निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखते हुये भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर स्वीकृति हेतु विचार किया जा सकता है।

1. मोटर मार्ग निर्माण के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के किसी भी प्राविधानों का उल्लंघन न होने पाये।
2. मोटर मार्ग निर्माण के लिये पातन हेतु चिन्हित होने पर भी आवश्यकतानुसार ही वृक्षों का पातन किया जाय और इस बात का ध्यान रखा जाय कि किसी अन्य वृक्ष को किसी भी प्रकार से क्षति न पहुंचने पाये।
3. मोटर मार्ग निर्माण के दौरान उत्सर्जित मिट्टी एवं अन्य मलवे को निर्धारित मक डिस्पोज क्षेत्र में ही निस्तारित किया जाय।
4. इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि वन अग्निकाल के दौरान आसपास के वन क्षेत्र में वनाग्नि दुर्घटना घटित न होने पाये।
5. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मोटर मार्ग निर्माण हेतु रखे गये मजदूरों द्वारा किसी भी वन्यजीवों का आखेट न होने पाये। ऐसा होने पर कार्यदायी संस्था के सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्व कार्यवाही की जा सकती है।

(डी0के0 सिंह)
निदेशक/वन संरक्षक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

पत्रांक 896 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1:– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फोरेस्ट कॉलोनी देहरादून।

2:– उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

3:– अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0, कर्णप्रयाग।

(डी0के0 सिंह)
निदेशक/वन संरक्षक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

भाग–3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

जनपद चमोली के अन्तर्गत प्रस्तावित भराड़ीसैण से परवाड़ी लिंक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 6.5525 है0 वन भूमि हस्तान्तरण

28	स्थल जहॉ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हॉ/नही) यदि हॉ तो निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	हॉ
29	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हॉ
30	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	इस प्रस्तावित मोटर मार्ग का निरीक्षण दि0 11.06.2019 को किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री हरीश नेगी, वन क्षेत्राधिकारी, लोहवा रेंज एवं अन्य वन कर्मचारी उपस्थित थे। स्थलीय निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों को बचाने एवं उनकी संख्या न्यून करने के उद्देश्य से मौके पर अन्य वैकल्पिक संरेखणों पर विचार किया गया परन्तु स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा अपनी निजी नाप भूमि देने से असहमति व्यक्त की गयी। अन्य वैकल्पिक संरेखणों पर ग्रामवासियों एवं कार्यदायी संस्था के मध्य सहमति न हो सकने के कारण प्रस्तावित संरेखण के अनुसार ही मोटर मार्ग के निर्माण की मांग की गयी। अतः वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु विचार किया जा सकता है।

तिथि.....2-9-2019
स्थान–गोपेश्वर।

(डी0के0 सिंह)
निदेशक/वन संरक्षक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।